

विवरण

१/७/२१

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार विमल खडिया पिता - जुराल खडिया को खारा नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम समसैरा खाता सं०-२५१ खेसरा सं० - रकबा - २.०० वर्ष का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान किसी ने भी अपना लिखित बयान नहीं दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त विषयगत भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार खं खेसरा सं० दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विमल खडिया पिता - जुराल खडिया ग्राम समसैरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसैरा	६७	२५१	-	२.०० सं०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक २०७४/रा०, दिनांक १३.०५.२०१६ एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक १७०४/रा० दिनांक १५.०७.२०२० के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
बोकारो
१/७/२१

अंचल अधिकारी,
बोकारो
१/७/२१